नियम 151 : ऋणों और शेयरों आदि की कुर्की

(1) कोई ऋण जो परक्राम्य लिखत द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है, निगम में शेयर या अन्य जंगम संपत्ति जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, सिवाय ऐसी सम्पत्ति के जो निक्षेप की गई है या किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी–16** में लिखित आदेश द्वारा,–

(क) ऋण के मामले में लेनदार को ऋण की वसूली करने से और ऋणी को उसका संदाय करने से जब तक कि उचित अधिकारी से अतिरिक्त आदेश प्राप्त नहीं किया जाता;

(ख) शेयर के मामले में व्यक्ति जिसके नाम में शेयर धारित हो, को उसे अंतरित करने से या उस पर कोई लाभांश प्राप्त करने से;

(ग) किसी अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को इसे व्यतिक्रमी को देने से प्रतिषिद्ध करते हुए कुर्क किया जाएगा।

(2) ऐसी आदेश की एक प्रति उचित अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाया जाएगा, और एक अन्य प्रति ऋण के मामले में, ऋणी को भेजी जाएगी और शेयरों के मामलों में, निगम के रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी जाएगी और अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिषि) कोई ऋणी, अपने ऋण की राशि का संदाय उचित अधिकारी को कर सकेगा, और ऐसा संदाय व्यतिक्रमी को संदेय किया गया समझा जाएगा।